राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
जी–3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर
बेवसाईट– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in ई–मेल– caodlb@gmail.com टेलीफोन/फैक्स नं – 0141–2223074

क्रमांक : प.6(ट)(308)लेखा/ डीएलबी/14 एफ.सी/15/11398 दिनांक :– 4.11.16

आदेश

विषयः– 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में दिशा–निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा समस्त नगरीय निकायों को 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राशि का हस्तांतरण वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ हो चुका है। विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों में राशि के उपयोग के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। जिसका अलग से आदेश विभागीय पत्र क्रमांक प.6(ट)(308)लेखा/ डीएलबी/14 एफ.सी/15/3858–3946 दिनांक 30.05.2016 के द्वारा जारी किया गया है। शहरी मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त नये दिशा–निर्देशों के अनुसार 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग निम्न गतविधियों पर किया जावेः–

01. निकायों में परादर्शीता, जवाबदेही, व्यय पर पर्यवेक्षण एवं जनचेतना को ध्यान में रखते हुये समस्त निकायो द्वारा 14वे वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि के समुचित उपयोग हेतु सर्वप्रथम Implementation Plan तैयार किया जावे।
02. 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक अनुदान प्राप्त होगा। अतः आगामी 4 वर्षो के लिये निकाय द्वारा कराये जाने वाले कार्यो को मौहल्ला/वार्ड समितियों के परामर्श से किया जावे।
03. 14वें वित्त आयोग की सिफारिश संख्या 9.55 व 9.56 के अनुसार अनुदान का उपयोग मूलभूत सेवाओं यथा स्वच्छता जिसमें सेप्टैज प्रबंधन शामिल है, सीवेज, जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाईट, स्थानीय निकायों की सड़कों एवं फुटपाथों, पार्को, मैदानों तथा कब्रिस्तान एवं श्मशान स्थलों का रख–रखाव जैसी मूलभूत सेवाओं के प्रदान को, सुदृढ करने हेतु किया जावे।
04. यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी एवं सीवरेज के कार्यो हेतु एवं इन कार्यो से संबंधित देयताओ का भुगतान प्राथमिकता से किये जाने।
05. आवंटित राशि की 10 प्रतिशत राशि निकायो के ई–गर्वेन्स हेतु RUIFDCO को भिजवावे।
06. अनुदान का उपयोग सामुदायिक सम्पत्तियों के सृजन एवं अनुरक्षण पर व्यय किया जा सकता है।
07. अनुदान का उपयोग Beneficiary Contribution के रूप में नहीं किया जावे।
08. भारत सरकार की योजनाओं यथा स्वच्छ भारत मिशन, अमृत (Atal Mission for Rejuveation & Urban Transformation) के अन्तर्गत सेनिट्रेशन, ठोस कचरा प्रबन्धन एवं पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्यो के लिये निकाय के Share के रूप में उपयोग के लिया जा सकता है।

उक्त दिशा–निर्देश शहरी मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.05.2016 एवं दिनांक 12.09.2016 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(308)लेखा/ डीएलबी/14 एफ.सी/15/11399-650 दिनांक :– 4.11.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः– 4.11.16

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली।

05. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय/आर्थिक मामलात) विभाग, राज0 जयपुर।
06. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
07. निदेशक, व्यय विभाग, वित्त आयोग डिविजन, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, ब्लॉक नं0 XI, 5 मंजिल लोदी रोड़, नई दिल्ली– 110003
08. जिला कलेक्टर, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/ भरतपुर।
09. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर
12. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका राजस्थान।
13. स्वच्छ भारत मिशन प्रकोष्ठ, निदेशालय।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी